<u>अति तत्काल</u>
<u>आरएलबी निर्गम सं. 3/2020 - 21</u>

राज्य सरकारों के खातों में क्रेडिट की जाने वाली राशि

फा. 15(4) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/2020-25
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक सं. XI, 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110003
दिनांक:- **17-06-2020**

सेवा में,

लेखा अधिकारी (राज्य - ऋण),
मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय,
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
<u>नई दिल्ली</u>-110001.

विषय: राज्य सरकार (रों) को पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा यथा अनुसंशित ग्रामीण स्थानीय निकाय बुनियादी अनुदान (**अनाबद्ध**) की पहली किस्त जारी करने के बारे में

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार **<u>अनुलग्नक-I</u> (पृष्ठ-3)** में दिए गए विवरणों के अनुसार राज्य सरकार (रों) को **15177.00 करोड़ रुपये** (पंद्रह हजार एक सौ सतहत्तर करोड़ रुपये मात्र) जारी करने के लिए भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. राज्य सरकार(रों) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि 2011 की जनगणना को 90 प्रतिशत के भारांक तथा क्षेत्र को 10 प्रतिशत के भारांक के साथ राज्य के भीतर सामान्य क्षेत्रों एवं अपवर्जित क्षेत्रों, यदि कोई हो (जहाँ संविधान का भाग IX एवं IXA लागू नहीं है) को **15177.00 करोड़** की उपर्युक्त राशि आवंटित करें।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार **अपवर्जित क्षेत्रों** (यदि कोई हो) के लिए विभाजित अनुदानों को राज्य वित्त विभाग द्वारा पंचायती राज/ एडीसी/ वीसीबी मामलों को देख रहे संबंधित प्रशासनिक विभागों/नोडल विभागों के माध्यम से संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/ ग्राम परिषद निकायों (वीसीबी)/ ग्राम सभा (जैसा भी मामला हो) को सीधे हस्तांतरित करने होंगे।

4. **सामान्य क्षेत्रों** के लिए विभाजित अनुदानों का वितरण हालिया राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के सभी स्तरों के लिए अंतिम रूप दी गई पारस्परिक (इंटर से) हिस्सेदारी के अनुसार पूरे राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर के भीतर करना होगा। तथापि, यदि वितरण के लिए एसएफसी की सिफारिश उपलब्ध नहीं है, तो आवंटन जनसंख्या और क्षेत्र के लिए 90:10 के अनुपात के आधार पर किए जाने चाहिए।

5. राज्यों (राज्य वित्त विभाग) को संघ सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर बिना कोई कटौती के हस्तांतरित करने होंगे। दस कामकाजी दिनों से परे कोई भी विलंब पर राज्य सरकार को अनुदान पिछले वर्ष के लिए बाजार उधारों/राज्य विकास ऋणों (एलडीएल) पर ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज के साथ देने होंगे।

जारी....2/-

6. उपरोक्त बुनियादी अनुदान अनाबद्ध हैं जिनका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।

7. उपर्युक्त स्थानीय निकाय अनुदान दिनांक **01-06-2020** के का.ज्ञा. सं. एफ. 15(2) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/2020-25 के माध्यम से उपरोक्त विषय पर जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देशों में प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाएगा।

8. पीएओ-राज्य ऋण, मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध किया जाता है कि वह उपरोक्त राशि को संबंधित राज्य सरकार (रों) के खाते में क्रेडिट करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को सलाह दें।

9. भुगतान वित्त मंत्रालय के लेखाओं **स्थानीय निकाय (3.01 ग्रामीण निकाय) के लिए अनुदानों** के रूप में **फंक्शन हेड 3601071020100, ऑब्जेक्ट हेड 31,** स्कीम **कोड 2084** के तहत वर्ष 2020-2021 के लिए मांग सं. 039 - राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकार (रों) को हस्तांतरण - में समायोजनीय हैं।

10. इस पत्र पर की गई कार्रवाई से इस प्रभाग को सूचित किया जाए।

(भारतेंदु कुमार सिंह)

निदेशक (एफसीडी)

दूरभाष सं. 24360647 (का.)

<u>प्रतिलिपि:</u>

क्र. सं.	नाम
1.	सचिव, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
2.	प्रबंधक, आरबीआई, सीएएस, नागपुर
3.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
4.	प्रबंधक, आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर
5.	बजट प्रभाग (राज्य अनुभाग), डीईए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6.	पीएओ, व्यय विभाग (डीओई), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
7.	महा लेखाकार (ए एवं ई), संबंधित राज्य सरकार (रें)
8.	महा लेखाकार (लेखापरीक्षा), संबंधित राज्य सरकार (रें)
9.	सचिव (वित्त), संबंधित राज्य सरकार (रें)
10.	सचिव (पंचायती राज), संबंधित राज्य सरकार (रें)

(भारतेंदु कुमार सिंह)

निदेशक (एफसीडी)

दूरभाष सं. 24360647 (का.)

अनुलग्नक - I

आरएलबी को जारी किया गया स्वीकृति आदेश सं. 3/2020-21 दिनांक 17/06/2020

क्र. स.	राज्य का नाम	वर्ष 2020-21 के लिए आरएलबी को बुनियादी अनुदान (अनाबद्ध) की पहली किस्त की राशि (रु. करोड़ में)
1.	आंध्र प्रदेश	656.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	57.75
3.	असम	401.00
4.	बिहार	1254.50
5.	छत्तीसगढ	363.50
6.	गोवा	18.75
7.	गुजरात	798.75
8.	हरियाणा	316.00
9.	हिमाचल प्रदेश	107.25
10.	झारखंड	422.25
11.	कर्नाटक	804.25
12.	केरल	407.00
13.	मध्य प्रदेश	996.00
14.	महाराष्ट्र	1456.75
15.	मणिपुर	44.25
16.	मेघालय	45.50
17.	मिजोरम	23.25
18.	नगालैंड	31.25
19.	ओडिशा	564.50
20.	पंजाब	347.00
21.	राजस्थान	965.50
22.	तमिलनाडु	901.75
23.	तेलंगाना	461.75
24.	त्रिपुरा	47.75
25.	उत्तर प्रदेश	2438.00
26.	उत्तराखंड	143.50
27.	पश्चिम बंगाल	1103.00
	कुल	**15177.00**

अति तत्काल
आरएलबी निर्गम सं. 2/2020 - 21

राज्य सरकारों के खातों में क्रेडिट की जाने वाली राशि

फा. 15(4) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/2020-25
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक सं. XI, 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110003
दिनांक:- **17-06-2020**

सेवा में,

लेखा अधिकारी (राज्य - ऋण),
मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय,
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001.

विषय: राज्य सरकार (रों) को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकाय बुनियादी अनुदान (**अनाबद्ध**) की पहली किस्त जारी करने के बारे में

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार 2020-21 के दौरान राज्य सरकार (रों) को निम्न विवरण के अनुसार **10.50 करोड़ रुपये** (दस करोड़ पचास लाख रुपये मात्र) जारी करने के लिए भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है।

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण स्थानीय निकाय को जारी की जा रही राशि (अनाबद्ध)
1.	**सिक्किम**	**10.50**
	कुल	**10.50**

2. राज्य सरकार(रों) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि 2011 की जनगणना को 90 प्रतिशत के भारांक तथा क्षेत्र को 10 प्रतिशत के भारांक के साथ राज्य के भीतर सामान्य क्षेत्रों एवं अपवर्जित क्षेत्रों, यदि कोई हो (जहाँ संविधान का भाग IX एवं IXA लागू नहीं है) को **10.50 करोड़** की उपर्युक्त राशि आवंटित करें।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार **अपवर्जित क्षेत्रों** (यदि कोई हो) के लिए विभाजित अनुदानों को राज्य वित्त विभाग द्वारा पंचायती राज/ एडीसी/ वीसीबी मामलों को देख रहे संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/ ग्राम परिषद निकायों (वीसीबी)/ ग्राम सभाओं (जैसा भी मामला हो) को सीधे हस्तांतरित करने होंगे।

4. **सामान्य क्षेत्रों** के लिए विभाजित अनुदानों का वितरण हालिया राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के सभी स्तरों के लिए अंतिम रूप दी गई पारस्परिक हिस्सेदारी के अनुसार पूरे राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर के भीतर करना होगा। तथापि, यदि वितरण के लिए एसएफसी की सिफारिशें उपलब्ध नहीं है, तों आवंटन जनसंख्या और क्षेत्र के लिए 90:10 के अनुपात के आधार पर किए जाने चाहिए।

जारी....2/-

5. राज्य (राज्य वित्त विभाग) संघ सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर बिना कोई कटौती के हस्तांतरित करने होंगे। दस कामकाजी दिनों से परे कोई भी विलंब पर राज्य सरकार को अनुदान पिछले वर्ष के लिए बाजार उधारों/राज्य विकास ऋणों (एलडीएल) पर ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज के साथ देने होंगे।

6. उपरोक्त बुनियादी अनुदान अनाबद्ध हैं जिनका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।

7. उपर्युक्त स्थानीय निकाय अनुदान दिनांक 01-06-2020 के का.ज्ञा. सं. फा. 15(2) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/2020-25 के माध्यम से उपरोक्त विषय पर जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देशों में प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाएगा।

8. पीएओ-राज्य ऋण, मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध किया जाता है कि वह उपरोक्त राशि को संबंधित राज्य सरकार (रों) के खाते में क्रेडिट करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को सलाह दें।

9. भुगतान वित्त मंत्रालय के लेखाओं **स्थानीय निकाय (3.01 ग्रामीण निकाय) के लिए अनुदानों** के रूप में **फंक्शन हेड 3601071020100, ऑब्जेक्ट हेड 31,** स्कीम **कोड 2084** के तहत वर्ष 2020-2021 के लिए मांग सं. 038 - राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकार (रों) को हस्तांतरण - में समायोजनीय हैं।

10. इस पत्र पर की गई कार्रवाई से इस प्रभाग को सूचित किया जाए।

(भारतेंदु कुमार सिंह)

निदेशक (एफसीडी)

दूरभाष सं. 24360647 (का.)

<u>प्रतिलिपि:</u>

क्र. सं.	नाम
1.	सचिव, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
2.	प्रबंधक, आरबीआई, सीएएस, नागपुर
3.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
4.	प्रबंधक, आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर
5.	बजट प्रभाग (राज्य अनुभाग), डीईए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6.	पीएओ, व्यय विभाग (डीओई), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
7.	महा लेखाकार (ए एवं ई), संबंधित राज्य सरकार (रें)
8.	महा लेखाकार (लेखापरीक्षा), संबंधित राज्य सरकार (रें)
9.	सचिव (वित्त), संबंधित राज्य सरकार (रें)
10.	सचिव (पंचायती राज), संबंधित राज्य सरकार (रें)

(भारतेंदु कुमार सिंह)

निदेशक (एफसीडी)

दूरभाष सं. 24360647 (का.)

*****